धर्मनिरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण

डॉ. अंशु सोनी
सहा. प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

राष्ट्रीय एकीकरण एक बहु-आयामी अवधारणा है जिसका उद्देश्य समाज में ऐसी भावना का विकास कर है जिससे स्थानीयता, जातीयता, धर्म और भाषाई आस्थाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति राष्ट्रीय संदर्भ में सोचने लगे औ सामुदायिक ता का विकास हो सके। महात्मा गाँधी ने इस भावना की अभिव्यक्ति इन शब्दों में की "राष्ट्रीय एक सामान्य उद्दश्य, सामान्य ध्येय और सामान्य दुखों की अनुभूति है। इसकी प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग परंपरा साहि ढूंढता और सहानुभूति के साथ एक दूसरे के दुखों को बांटते हुए सामान्य ध्येय की प्राप्ति में सहयोग करना है।

भारत में राष्ट्रीय एकता का प्रश्न अत्यंत जटिल है क्योंकि धर्म, भाषा, संस्कृति और जातियों व विविधता भारतीय समाज की पारंपारिक विशेषता है। जो भारतीय समाज के एकीकरण के मार्ग में बाधक बन र है। विदेशी शासन और उनकी 'फूट डालो और शासन करो' की नीति से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और इसक परिणीति देश के बंटवारे के रूप हुई। सांप्रदायिक हिंसा में हजारों लोगों की जाने जा चुकी हैं और लाखों लोगों घर उजड़ गए, लाखों लोग विस्थापित होकर शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। संप्रदायिकता देश व अस्मिता और एकता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते समय इस बात व प्रयास किया कि राष्ट्रीय एकता को हर हालत में अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। भारतीय गणतंत्र की नीव 'सर्वधर्म समभाव पर रखी गई। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता एवं बंधुत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिय है। भारतवर्ष के सभी नागरिकों को धर्म एवं भाषा की स्वतंत्रता के साथ सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान किय है। सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाल और वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है किसी के साथ ऊंच-नीच एवं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गय है संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय एकात्मता को बनाए रखना था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संविधान की भावनाओं का स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद भी हम आदर नहीं कर पाए हैं। संविधान में लिखि बातें सैद्धांतिक वनकर रह गई हैं। व्यवहारिकता के धरातल पर इसे नहीं अपनाया जा सका है। आज धर्मनिरपेक्ष नीति के विरुद्ध आचरण कर सांप्रदायिकता को फलने-फूलने का मौका दिया जा रहा है।

सांप्रदायिकता वह भावना है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रजाति एवं संस्कृति के आधार पर एक समूह को दूस से पृथक रहने तथा उसका विरोध करने की प्रेरणा देती है भारत में सांप्रदायिकता की धारणा पूर्णतः धार्मिक अंधभक्ति

संबंधित है। यह ऐसी उग्र भावना है जो अपने धर्म को सर्वोच्च मानती है और दूसरे धार्मिक समूह को अपने धिपत्य में रखना चाहते हैं। इसी प्रकार की धार्मिक अंधभावना के कारण घृणा, द्वेष, उपेक्षा, तिरस्कार एवं निंदा म लेती है। भारत में धर्म के नाम पर हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच होने वाले संघर्ष ही सांप्रदायिकता के उदाहरण ं है बल्कि हिंदुओं में भी वैष्णवों तथा शैवों के बीच होने वाले संघर्ष, मुसलमानों में शिया और सुन्नियों के बीच ने वाले संघर्ष अथवा सिक्खों में अकालियों और निरंकारीयों के पारस्परिक संघर्ष भी सांप्रदायिकता के उदाहरण है। मान युग में सांप्रदायिकता की धारणा में धार्मिक अंधभक्ति के साथ राजनीतिक तथा आर्थिक उद्देश्य भी जुड़ते रहे हैं। यही कारण है कि आज सांप्रदायिकता का उपयोग खुलकर राजनीतिक स्वार्थो को पूरा करने के लिए किया ने लगा है।

यद्यपि संविधान ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया परंतु लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने सहज सांप्रदायिक तत्वों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया और उसे अनजाने में या जानबूझकर मजबूत भी या है। भारत के प्रत्येक राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल ने बिना किसी झिझक के धार्मिक नेतृत्व का प्रयोग तदाताओं को आकर्षित करने के लिए किया है और धर्म के स्थान पर धर्मांधता, धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर ढ़िवादिता तथा शिक्षा के स्थान पर तुष्टिकरण को बढ़ावा देकर मतदाताओं तक पहुंचने का सरल मार्ग अपनाया । परिणामस्वरूप चुनावों के समय सांप्रदायिकता की राजनीति और भी अधिक सक्रिय हो जाती है यद्यपि प्रत्येक दल द्धांत के धरातल पर स्वयं को सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है

यह पूर्णतः सत्य है कि राजनीतिक प्रक्रिया में धर्म के सांप्रदायिक प्रयोग से राष्ट्रीय एकीकरण की अपूरणीय ति होती है और प्रत्येक राजनीतिक जनप्रक्रिया और जन आंदोलन व्यक्ति की राष्ट्रीय अस्मिता और निष्ठा की भावना को कम करके उसकी धार्मिक अस्मिता और निष्ठा को अधिक मजबूत बना देता है। राष्ट्रीय हित राजनीतिक और ांप्रदायिक हितों के सम्मुख गौण बन जाता है तथा समाज और राष्ट्र का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक प्रगति का अवरुद्ध होना इसके दुष्परिणाम है।

सांप्रदायिकता के विष ने न केवल देश के माहौल को खराब किया है अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की वि को धूमिल किया है। समाज अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों में विभाजित ही नहीं है अपितु अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक भी स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। पंजाब की समस्या, अयोध्या विवाद, गुजरात दंगे, स्लिम कट्टरवाद, मजहवी आतंकवाद सांप्रदायिक राजनीति की उपज है।

अतः जब सांप्रदायिकता की समस्या इतनी भयावह एवं विकराल हो तो इसका निदान अवश्य खोजा जाना ाहिए तथा सांप्रदायिकता से समाज को छुटकारा दिलाना हर संवेदनशील एवं देशभक्त व्यक्ति का कर्तव्य है। यद्यपि सन् 1962 में पहली बार सांप्रदायिक विशेष की भावना पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया तत्पश्चात् राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया और सांप्रदायिक सद्भावना के निर्माण हेतु विशेष पुरस्कारों जैसे कबीर सम्मान, राजीव गांधी एकता सम्मान, की घोषणा की गई है। सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करने के लिए सबसे आवश्यक है आपसी संवाद का होना। यदि हम एक दूसरे की धर्म, संस्कृति का आदर करना

ISSN 2395-6

आरंभ करें और उनके उत्सवों में सहभागी होने लगे तो निश्चित् ही इस सद्भावना को हासिल किया जा सकता है। देश की भावी पीढ़ी धर्म के निरपेक्ष गुणों से युक्त हो तो सांप्रदायिकता की काली छाया से बचा जा सकता है। लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जो पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र एवं एकीकरण को बढ़ावा दे। आवश्यक है कि देश के सभी राजनीतिक दलों के नेता समाज और देश के हितों को प्रधानता देते हुए प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाएं तथा जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव जागृत करने के लिए विचार विमर्श करें। सांप्रदायिकता के आधार पर लड़े गए चुनावों को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समूहों की समस्याओं के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए समान सामाजिक विधान बनाए जाएं जिससे पारस्परिक भेदभाव समाप्त होंगे एवं एकता को बल मिलेगा। सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए चलचित्र, रेडियो, टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव का प्रचार किया जाए।

यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति के जीवन को इस तरह से संस्कारित किया जाए कि वह संकीर्ण समूह से ऊपर उठे उनमें प्रखर राष्ट्रीयता सांप्रदायिक, सद्भावना एवं धर्मनिरपेक्षता के गुणों का विकास हो जिससे वह राष्ट्र के योग्य नागरिक बन सकें और राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित हो।

संदर्भ सूची

1. पवन कुमार भारतीय राजनीति की दिशा एवं दशा (स्वतंत्रता के पश्चात) वंदना पब्लिकेशन नई दिल्ली 20
2. पाण्डेय डॉ. गणेश भारतीय सामाजिक समस्याएं राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली 2007
3. लवानिया डॉक्टर एमएम भारत में सामाजिक समस्याएं रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर 2010
4. शर्मा डॉ. जी.एल. एवं शर्मा डॉ. वाई.के. भारत में सामाजिक समस्याएँ यूनिवर्सिटी बुक हाउस (प्रा.लि.) जयपुर 2009
5. ओझा, विनय कुमारः भारत का संविधान एवं राजव्यवस्था, मंथन प्रकाशन, इलाहाबाद 2013